संख्या- 9/2016 /एस-3- 61/दस-2016-ब(5)/2015

प्रेषक,

राज रतन
उप सचिव
उ0प्र0शासन

सेवा में,

निदेशक,
कोषागार,उ0प्र0,
जवाहर भवन , लखनऊ।

वित्त (सेवायें) अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 21 मार्च, 2016

विषय:- कोषागार गाजीपुर में नवीन कोषागार भवन में भू-तल पर डबल-सिंगल लॉक, गार्डरूम एवं बाथरूम /टायलेट का निर्माण कराये जाने हेतु वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 3700/4901/21(192)/2008/गाजीपुर/को0नि0 बजट, दिनांक 28-01-2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोषागार गाजीपुर में नवीन कोषागार भवन में भू-तल पर डबल-सिंगल लॉक, गार्डरूम एवं बाथरूम /टायलेट का निर्माण कराये जाने हेतु लोक निर्माण विभाग की दरों एवं विशिष्टियों के आधार पर तैयार किये गये आगणन की धनराशि रूपये 73,45,000/- के सापेक्ष परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गई धनराशि रूपये 68,00,000/- (रूपये अड़सठ लाख मात्र) की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति तथा प्रथम किश्त के रूप में रू0 34,00,000/-(चौतीस लाख मात्र) की धनराशि निर्गत किये जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं-

(1) स्वीकृति धनराशि नियमानुसार व्यय की जायेगी तथा बचतों की स्थिति में अवशेष धनराशि राजकोष में समर्पित की जायेगी ।

(2) प्रश्नगत निर्माण कार्य पर किसी भी स्थिति में स्वीकृत धनराशि से अधिक धनराशि का व्यय नहीं किया जायेगा ।

(3) प्रश्नगत कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टियों के अनुसार समयान्तर्गत कार्यदायी संस्था प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग गाजीपुर से कराया जायेगा तथा इसका भौतिक सत्यापन नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा ।

(4) उपयोगिता प्रमाण- पत्र शासन को निदेशक ,कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा यथासमय उपलब्ध कराया जायेगा ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5) यदि प्रश्नगत कार्य नहीं कराया जाता हैं तो उसे तत्काल शासन के संज्ञान में लाते हुए सम्पूर्ण धनराशि राजकोष में तुरन्त जमा कराये जाने की कार्यवाही की जायेगी ।

(6) निर्माण कार्यो की गुणवत्ता प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित की जाये । यह भी सुनिश्चित किया जाय कि निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा माह सितम्बर,2016 के अन्दर पूर्ण हो जाय ।

2- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-63 के लेखाशीर्षक-''4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनेत्तर-01 कार्यालय भवन-051-निर्माण-03 प्रदेश के विभिन्न कोषागारों/उपकोषागारों में विभिन्न/नवीनीकरण कार्य के मानक मद-24 बृहत निर्माण कार्य के डाला जायेगा ।

भवदीय,

(राज रतन)
उप सचिव।

संख्या- 9/2016/एस-3-61(1)/दस-2016-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार,(ले0ह0) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा एवं परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
3- मुख्य /वरिष्ठ कोषाधिकारी ,गाजीपुर।
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
5- वित्त (लेखा) अनुभाग-1
6- अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, गाजीपुर ।
7- अनुभागीय गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(राज रतन)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।